राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जगदीश बनाम लक्ष्मण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	835/2025	
27/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री सुरेश घासल ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/11/2025 को पेश हो।	
28/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 1 व 2 की और से प्रार्थना पत्र बाबत उक्त अपील को स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने का पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस उक्त प्रार्थना पत्र पर एवं अपील पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15/01/2025 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया जावे कि वे दोनों पक्षों को सुनकर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे, जिस पर रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने भी अपनी सहमति जाहिर की है। चूँकि दोनों पक्षों द्वारा सहमती जाहिर की गयी है। अत: प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15/01/2025 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों का पक्ष सुनते हुये विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना कर पुन: विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार निस्तारित की जाती है। उभयपक्षों को जरिये अभिभाषक यह निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 07/01/2026 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	